फर्द अहकाम

सुविधा बनाम नारायण सिंह व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

36/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
23/5/25	स्वीकार मानी जाकर (आगामी तारीख अनुपस्थित (मुक्ति प्रदान कर) कार्यवाही आगे चलाई जावे। दिनांक पार्टी वादी अधिवक्ता की बहस सुनी, पक्षों पर मनन किया व पत्रावली का गहराई पूर्वक अवलोकन किया। चूँकि प्रकरण मांग अभिलिखित निर्णय/डिक्री अनुसार भूमि के विभाजन से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में नाली एक मांग की प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत की गई है। ना ही वादपत्र व कुलजात रिपोर्ट को किसी भी मान्य स्तर पर कोई समन/औपचारिक रवाना ही प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकाशन नोटिस तामिल समाचारपत्र दिनांक 26.4.25 व पारित रिपोर्ट सह नोटिस दिनांक 08/01/25 के हस्ताक्षर तामिल स्वीकार मानी जाकर प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 2/6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जाते हैं। पत्रावली वादि अभिज कार्यवाही दिनांक 28/05/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस कुलजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वादी की ओर से कुलजात रिपोर्ट में सहमति व्यक्त की गई है तथा प्रकरण में किसी भी प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से अद्यतन विलम्बित जारी सूचना व जानकारी के कुलजात रिपो

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

सुविधा बनाम नारायण सिंह व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

36/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
28/5/25	के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। तथा प्रस्तुत कुलजात रिपोर्ट विधिवत व प्रक्रिया अनुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित है। परन्तु चूँकि प्रस्तुत कुलजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी के खंड सं. 2 के अन्तर्गत प्रदर्शित हकदारान/प्रतिवादी सं. 01 व 02 नारायण सिंह पुत्र कन्नू सिंह, रामसिंह पुत्र कन्नू सिंह की मृत्यु हो चुकी है। जिसे वारिसान रिकॉर्ड पर स्थापित किए जाने के अभाव में मृतक प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के स्थान पर प्रदर्शित वारिसान को स्थापित किया जाकर कुलजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी के खंड सं. 2 में अंकित पक्षकार नारायण सिंह पुत्र कन्नू सिंह के स्थान पर अमर सिंह, भाल सिंह, सुरजन कंवर पत्नि नारायण सिंह को तथा इसी प्रकार अंकित पक्षकार रामसिंह पुत्र कन्नू सिंह के स्थान पर गुलाब कंवर पत्नि स्व. रामसिंह, राजेन्द्र सिंह, जयसिंह, रामसिंह उर्फ रामसिंह, रत्न कंवर, राज कंवर पुत्रीयां रामसिंह को प्रविष्ट किया जाकर/अंकित किया जाकर प्रस्तुत कुलजात रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमारी होकर वादतहरीर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर